अपील सूचना अधिकार संख्या 83/2019 (RCMS 2019/00229) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्ट ऑर्डर नं. 46F/864554) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

17.02.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए और कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 02 बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर से सूचना उपलब्ध की प्रार्थना की है और धारा 20(1) व 20(2) के तहत शास्ति अधिरोपित करने व अप्रार्थी को हर्जाना दिलवाने एवं वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2019 के द्वारा जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1 जिला पंजीयक (कलक्टर), श्रीगंगानगर के पत्रांक 1887 दिनांक 11.07.2019 से सम्बन्धित सूचना जो कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित है : श्री महेन्द्र छाबड़ा ने वर्ष 2000 का स्टाम्प विक्रय रजिस्टर कोषाधिकारी कार्यालय श्रीगंगानगर में जिस दिवस, जिस कर्मकार को जमा करवाया उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

2\. अन्य जिन स्टाम्प विक्रेताओ द्वारा स्टाम्प विक्रय रजिस्टर वर्ष 2000 का कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर में जमा करवाया उनके नाम, पता व स्टाम्प विक्रय रजिस्टर जमा करवाने के दिवस को सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 97—98 .दिनांक 09.09.2019 से अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

क्र.सं.	बिन्दु	जवाब
1.	श्री महेन्द्र छाबड़ा ने वर्ष 2000 का स्टाम्प विक्रय रजिस्टर कोषाधिकारी कार्यालय श्रीगंगानगर जिस दिवस जिस कर्मकार को जमा करवाया उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।	श्री महेन्द्र छाबडा ने वर्ष 2000 का स्टाम्प विक्रय रजिस्टर कोषाधिकारी कार्यालय श्रीगंगानगर में जमा नही करवाया गया है, इस तरह का कोई रिकार्ड इस कार्यालय में संधारित नही किया जाता।
2.	अन्य जिस स्टाम्प विक्रेताओ द्वारा स्टाम्प विक्रय रजिस्टर वर्ष 2000 का कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर में जमा करवाया उनके नाम, पता व स्टाम्प विक्रय रजिस्टर जमा करवाने के दिवस को सूचना व प्रमाणित प्रति।	भौतिक सत्यापन के आधर पर सूची सलंग्न है।

-sd-
कोषाधिकारी,
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है <u>जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो</u> <u>अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है</u> <u>जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो</u> और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। <u>तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए</u> एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसप्रकार कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर एवं कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर